

(91)

छत्तीसगढ़ शासन
कृषि विभाग
मंत्रालय

डी०के०एस० भवन, रायपुर 492001


:: अधिसूचना ::

रायपुर, दिनांक: 15/6/2007

क०/ 2426 /209-190/2006/14-3 :: छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी (एक से अधिक मंडी क्षेत्रों के लिए विशेष अनुज्ञप्ति) नियम, 2007 के नियम 3 के उप नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, एतद्वारा, "प्रबंध संचालक",

छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन बोर्ड को विशेष अनुज्ञप्ति प्रदान करने, नवीकृत करने या प्रबंध संचालक से इंकार करने के प्रयोजन के लिये प्राधिकारी/अधिकारी अधिसूचित करती है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,



(प्रदीप कुमार दवे)


उप सचिव


छत्तीसगढ़ शासन, कृषि विभाग

रायपुर, दिनांक: 15/6/2007

पृष्ठा. क०/ 2427 /209-190/2006/14-3
प्रतिलिपि :-

1. निज सचिव, माननीय मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन, कृषि विभाग।
2. रजिस्ट्रार, माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपुर (छ०ग०)।
3. स्टाफ आफिसर कृषि उत्पादन आयुक्त, छत्तीसगढ़ शासन।
4. निज सहायक, सचिव, छत्तीसगढ़ शासन कृषि विभाग।
5. ✓ प्रबंध संचालक, छ०ग० राज्य कृषि विपणन बोर्ड, रायपुर।
6. कलेक्टर, जिला.....(सर्व)।
7. उप नियंत्रक, शासकीय मुद्रणालय राजनांदगांव (छ०ग०) की ओर छत्तीसगढ़ राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ।


उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, कृषि विभाग

नियमन


छत्तीसगढ़
कृषि उपज मण्डी
अधिनियम तथा नियम
Chhattisgarh
KRISHI UPAJ MANDI
ACT & RULES

संबन्धित अधिनियम, नियम, आदेश, उपविधियों
अधिसूचनाओं तथा अन्य कृषि मन्त्रालय सहित

2015

to deputation allowance as the Director may by special order, specify; and

and by such other terms and conditions including disciplinary as the Director may, by special orders, specify.]

CHAPTER VI

Operation of Trading

Operation of persons operating in the market area. No person shall, except as notified agricultural produce in the market area as notified, trader, ¹[broker,] ¹surveyor, warehouseman or occupier of processing factories or ²[Farmer or operator of private or operator of private yards or Terminal Market] such other market functions in accordance with the provisions and the rules and bye-laws.

Grant of registration. No registration shall be granted in the market area or renewal thereof within such period as may be specified by bye-laws.

Each application shall be accompanied by such fee as the Director may, within the limits prescribed, determine.

(3) मंडी समिति पंजीयन मंजूर कर सकेगी या उसका नवीकरण कर सकेगी या लिखित में अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से, पंजीयन को मंजूर करने या उसका नवीकरण करने से इन्कार कर सकेगी;

¹[परन्तु यदि कि मण्डी समिति, पंजीयन की मंजूरी या उसके नवीकरण के लिए आवेदन-पत्र प्राप्त होने की तारीख से छः सप्ताह के भीतर पंजीयन मंजूर करने में या पंजीयन का नवीकरण करने में चूक करती है, तो यह समझा जायेगा कि पंजीयन यथास्थिति मंजूर कर दी गई है या उसका नवीकरण कर दिया गया है।]

²[परन्तु यह और भी यदि किसी आवेदक के विरुद्ध मण्डी समिति के शोध, जिनके अन्तर्गत छत्तीसगढ़ निराश्रितों एवं निर्धन व्यक्तियों की सहायता अधिनियम, 1970 के अधीन शोध भी आते हैं, बकाया हैं तो पंजीयन नवीकृत नहीं की जाएगी :

परन्तु यह भी कि कोई भी पंजीयन किसी अवयस्क को मंजूर नहीं की जाएगी।]

(4) इस धारा के अधीन मंजूर की गई या नवीकृत की गई समस्त पंजीयन इस अधिनियम के तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों तथा उपविधियों के उपबंधों के अधीन होंगी।

32-³[क. एक से अधिक मंडी क्षेत्रों के लिए पंजीयन - (1) धारा 31 में विनिर्दिष्ट किया गया प्रत्येक व्यक्ति जो एक से अधिक मंडी क्षेत्रों में कार्य करना चाहता हो, पंजीयन की मंजूरी या उसके नवीकरण के लिए राज्य सरकार द्वारा यथा अधिसूचित ऐसे प्राधिकारी/अधिकारी को ऐसी रीति में तथा ऐसी कालावधि के भीतर और ऐसी शर्तों पर, जैसी की नियमों में विहित किया जाए, आवेदन करेगा।

(2) राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित प्राधिकारी/अधिकारी पंजीयन मंजूर कर सकेगा या उसका नवीकरण कर सकेगा या लेखबद्ध किये जाने वाले कारणों से पंजीयन को मंजूर करने या उसका नवीकरण करने से इन्कार कर सकेगा।

(3) The market committee may grant or renew the registration or for reasons to be recorded in writing refuse to grant or renew the registration:

¹[Provided that if the market committee fails to grant or renew a registration within a period of six weeks from the date of receipt of application therefor the registration shall be deemed to have been granted or renewed, as the case may be.]

²[Provided further that the registration shall not be renewed, if any Mandi committee dues including dues under the Chhattisgarh Nirashriton Avam Nirdhan Vyaktion Ki Sahayata Adhiniyam, 1970 are outstanding against the applicant:

Provided also that no registration shall be granted to a minor].

(4) All registration granted or renewed under this section shall be subject to the provisions of this Act and the rules and bye-laws made thereunder.

"32-³[A Registration for more than one market area" (1) Every person specified in section 31 who desired to operate in more than one market areas, shall apply to such authority/ Officer notified by the State Government for grant of a registration or renewal thereof in such manner and within such period and on such condition as may be prescribed in the rules.

(2) The Authority/ Officer notified by the State Government may grant or renew the registration or for reasons to be recorded in writing, refuse to grant or renew the registration.

1. मध्यप्रदेश अधिनियम क्र. 18 सन् 1979 द्वारा (दिनांक 7-6-1979 से) प्रतिस्थापित।
2. मध्यप्रदेश अधिनियम क्र. 27 सन् 1997 द्वारा (दिनांक 15-6-1997 से) अन्तःस्थापित।
3. छ.ग. अधिनियम क्र. 9 सन् 2006, दिनांक 10-2-2006 से अन्तःस्थापित।

(3) इस धारा के अधीन मंजूर की गई या नवीनीकरण की गई समस्त पंजीयन इस अधिनियम के तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों और उपविधियों के उपबंधों के अध्वधीन रहते हुए होंगे।³

¹[32 - ख. निजी मंडी प्रांगण/ निजी उप-मण्डी प्रांगण तथा निजी किसान उपभोक्ता प्रांगण की स्थापना के लिए पंजीयन-(1) ऐसा व्यक्ति/ संगठन/ किसान उत्पादक संगठन, जो मंडी क्षेत्र में निजी मंडी प्रांगण/ निजी उप-मण्डी प्रांगण/ निजी किसान उपभोक्ता प्रांगण स्थापित करना चाहता हो, पंजीयन या उसके नवीनीकरण के लिए बोर्ड को, ऐसी रीति में तथा कालावधि के भीतर और ऐसी शर्तों पर, जैसी कि नियमों में विहित किये जायें, आवेदन करेगा।

(2) बोर्ड, पंजीयन स्वीकृत कर सकेगा या उसका नवीकरण कर सकेगा या अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से, पंजीयन को स्वीकृत करने से या उसके नवीकरण करने से, इंकार कर सकेगा।

(3) इस धारा के अधीन स्वीकृत या नवीकृत किये गये समस्त पंजीयन, इस अधिनियम तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों एवं उपविधियों के उपबंधों के अध्वधीन होंगे।¹

33. पंजीयन रद्द करने या निलंबित करने की शक्ति.—(1) उपधारा (4) के उपबंधों के अध्वधीन रहते हुए मण्डी समिति, लिखित में अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से, किसी पंजीयन को निलंबित या रद्द कर सकेगी—

- (क) यदि पंजीयन जानबूझकर दुर्व्यपदेशन या कपट द्वारा प्राप्त की गई हो; या
- (ख) यदि उस पंजीयन का धारक या कोई सेवक या उसकी (पंजीयन धारक की) अभिव्यक्त या विवक्षित अनुज्ञा से उसको ओर से कार्य करने वाला कोई भी व्यक्ति पंजीयन के निबंधनों या शर्तों में से किसी भी निबंधन या शर्त का भंग करता है; या

(3) All registration granted or renewed under this section shall be subject to the provisions of this Act and the rules and bye - laws made there under renewed under this section shall be subject to the provisions of this Act and the rules and bye- laws made there under.]³

¹[32- B. Registration for establishment of private market yard/ private sub- market yard and private farmer consumer yard.-

(1) Every person/ organization/ farmer producer organization, who desires to establish private market yard/ private sub- market yard/ private farmer consumer yard in the market area, shall apply to the Board of registration or renewal thereof in such manner and within such period and on such conditions as may be prescribed in the rules.

(2) Board may grant or renew the registration or for reasons to be recorded in writing refuse to grant or renew the registration.

(3) All registration granted or renewed under this section shall be subject to the provisions of the Act and the rules and bye-laws made there under.]¹

33. Power to cancel or suspend Registration.- (1) Subject to the provisions of sub-section (4) a market committee may, for reason to be recorded in writing, suspend or cancel a registration—

- (a) if the registration has been obtained through willful misrepresentation or fraud; or
- (b) if the holder of the registration or any servant or any one acting on his behalf with his express or implied permission, commits a breach of any of the terms or conditions of the registration; or

(ग) यदि पंजी के साथ के विप जानबूझकर रोकने के कार्य करे से प्रबिरा किसी उ हो, निलो (घ) यदि पंजी

(ङ) यदि पंजी जैसी कि। (च) यदि पंजी अधीन किा जावे।

(2) उपध रहते हुए, अध्व कारण से, जिस किसी पंजीयन क कर सकता हो, के लिए, लिखित कारणों से, निलो

परन्तु ऐस तारीख से सात होने पर प्रभावी पूर्व उस आदेश कर दी गई हो।

(3) उपध होते हुए, किन्तु उप रहते हुए, प्रबंध क किये जाने वाले व जो कि मण्डी सा नवीकृत की गई कर सकेगा :

परन्तु इस उ मण्डी समिति को जायेगा।

(4) इसे धा तक निलंबित या उसके धारक को विरुद्ध कारण दर्शा दिया गया हो।

1. छ.ग. राजपत्र दिनांक 8 मई 2015 द्वारा अन्तः स्थापित।

3. छ.ग. राजपत्र दिनांक 10 फरवरी 2006 द्वारा प्रतिस्थापित।

नया रायपुर, दिनांक 9 दिसम्बर 2015

क्रमांक ई 7-43/2004/1/2.—अखिल भारतीय सेवा (अवकाश) नियम, 1955 के नियम-19 के उप नियम (1) एवं (2) के प्रावधान अनुसार श्रीमती ऋचा शर्मा, भा.प्र.से. को विभागीय आदेश दिनांक 26-12-2013 द्वारा दिनांक 01-08-2013 से दिनांक 30-09-2015 (02 वर्ष, 02 माह) तक स्वीकृत असाधारण अवकाश में से दिनांक 01-08-2013 से दिनांक 31-07-2014 (01 वर्ष) तक की अवधि को निम्नानुसार अवकाश में परिवर्तित किया जाता है :—

क्र.	अवकाश का प्रकार	अवधि	दिवस
1.	अर्जित अवकाश	01-08-2013 से 28-03-2014	240
2.	अर्द्धवेतन अवकाश	29-03-2014 से 31-07-2014	125
कुल दिवस			365

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मुकुन्द गजभिये, अवर सचिव.

कृषि विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 14 दिसम्बर 2015

क्रमांक/5192/एफ-20/15/2014/14-2.—छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी (एक से अधिक मंडी क्षेत्र के लिये विशेष अनुज्ञप्ति) नियम, 2006 में संशोधन का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे राज्य सरकार, छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 (क्र. 24 सन् 1973) की धारा 79 की उप-धारा (2) के खण्ड (छः) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, बनाना प्रस्तावित करती है, उक्त अधिनियम की धारा 79 की उप-धारा (1) द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार, उन समस्त व्यक्तियों, जिनके कि इससे प्रभावित होने की संभावना है, की जानकारी के लिए एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है तथा एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त प्रारूप पर इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से पन्द्रह दिवस के अवसान पश्चात् विचार किया जायेगा.

कोई आपत्ति या सुझाव, जो उक्त प्रारूप के संबंध में किसी व्यक्ति से विनिर्दिष्ट कालावधि के पूर्व, अपर मुख्य सचिव एवं कृषि उत्पादन आयुक्त, छत्तीसगढ़ शासन, कृषि विभाग, कक्ष क्र. एस 4-4, महानदी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर के कार्यालय में, कार्यालयीन समय में प्राप्त हों, पर छत्तीसगढ़ शासन द्वारा विचार किया जाएगा.

संशोधन प्रारूप

उक्त नियमों में,—

नियम 4 के खण्ड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :—

“(क) व्यापारी/प्रसंस्करणकर्ता/आढ़तिया/
सर्वेक्षक/भंडारणकर्मी/गोडाउनकीपर रु. 25,000/- (पच्चीस हजार रुपये)”

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रदीप कुमार दवे, संयुक्त सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 14 दिसम्बर 2015

क्रमांक/5192/एफ-20/15/2014/14-2.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना क्रमांक/5192/एफ-20/15/2014/14-2 रायपुर, दिनांक 14-12-2015 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रदीप कुमार दवे, संयुक्त सचिव.

New Raipur, the 14th December 2015

No./5192/F-20/15/2014/14-2.— The following draft of amendment in the Chhattisgarh Krishi Upaj Mandi (Special Licence for more than One Market Areas) Rules, 2006, which the State Government proposes to make in exercise of the powers conferred by clause (vi) of sub-section (2) of Section 79 of the Chhattisgarh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), is hereby published as required by sub-section (1) of the Section 79 of the said Adhiniyam, for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft shall be taken into consideration after the expiry of fifteen days from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

Any objection or suggestion regarding the said draft received from any person, before the specified period during office hours by the office of the Additional Chief Secretary and Agriculture Production Commissioner, Government of Chhattisgarh, Department of Agriculture, Room No. S-4-4, Mahanadi Bhawan, Mantralaya, Naya Raipur, shall be considered by the Government of Chhattisgarh.

DRAFT AMENDMENTS

In the said Rules :—

For clause (a) of rule 4, the following shall be substituted, namely :—

“(a) Trader/Processor/Commission Agent/ Rs. 25,000/- (Rupees twenty five thousand)”
Surveyor/Warehouseman/Godown Keeper.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
PRADEEP KUMAR DAVE, Joint Secretary.

आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 7 दिसम्बर 2015

क्रमांक एफ-19-12/2015/25-2.— राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1996 की धारा 3 (2) के तहत श्री तौकीर रजा, ललिता चौक, मोमिनपारा, तात्यापारा वार्ड, रायपुर को उनके पदग्रहण तिथि से आगामी तीन वर्ष की अवधि के लिए सदस्य, छत्तीसगढ़ राज्य अल्पसंख्यक आयोग के पद पर नियुक्त करता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. सी. लेवे, अवर सचिव.



कार्यालय, प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य कृषि विपणन (मण्डी) बोर्ड
बीज भवन, जी.ई.रोड, तेलीबाधा, रायपुर-492006
फोन-0771-4240501 फैक्स-4094472, email-mdcgmandiboard@gmail.com, website-www.samb.cg.gov.in

क्रमांक / बी-4 / 1 / 591(2) / 2016-17 / 5603
प्रति,

रायपुर, दिनांक 15/12/2016

Managing Director
Small Farmers Agribusiness Consortium
5th floor, NCUI Auditorium
August Kranti Marg, Hauz khas
New Delhi - 110016

विषय :- Implementation of National Agriculture Market (NAM) unified licence-reg.
संदर्भ :- आपका पत्र क्रमांक SFAC/1-1/2/2015-ABU (NAM) 4270 दिनांक 11.11.2016।

—0—

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के माध्यम से राष्ट्रीय कृषि बाजार अंतर्गत एक से अधिक मंडी क्षेत्रों के लिए पंजीयन हेतु सक्षम प्राधिकारी, शर्तें, सेक्यूरिटी डिपोजिट, पंजीयन फीस तथा नियम एवं प्रपत्रों की जानकारी चाही गई है।

उपरोक्त चाही गई जानकारी पत्र के साथ संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

(कार्यवाही प्रबंध संचालक महो.द्वारा अनुमोदित)

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

अपर संचालक

छ0ग0राज्य कृषि विपणन बोर्ड
रायपुर-(छ.ग.)

पृ.क्रमांक / बी-4 / 1 / 591(2) / 2016-17 / 5604
प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

रायपुर, दिनांक 15/12/2016,

संयुक्त सचिव, छ.ग. शासन कृषि एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग, मंत्रालय नया रायपुर।

अपर संचालक

छ0ग0राज्य कृषि विपणन बोर्ड
रायपुर-(छ.ग.)